निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्याः– 02/2023(अपील)
दायर दिनांकः– 20/06/2023
निर्णय दिनांकः– 18/07/2025

अनवान
अनवान

1. रतन कंवर चुण्डावत पुत्री गुमानसिंह (पत्नी किशनसिंह चुण्डावत) जाति राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी खाखरमाला, खेमा का खेडा, भीलवाडा राजस्थान।
2. पवन कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण कंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. ग्राम पंचायत दौलपुरा पंचायत समिति देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दौलपुरा।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 747 दिनांक 21.08.2006 ग्राम पंचायत दौलपुरा

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 747 दिनांक 21.08.2006 ग्राम पंचायत दौलपुरा के प्रस्तुत की गई कि राजस्व ग्राम दौलपुरा पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 137 पुराना 137 में स्थित आराजी संख्या 772, 773, 774, 778, 782, 783 कुल किता 7 कुल रकबा 5.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में गुमानसिंह पिता भीमा जी राजपूत के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर विरासत से गुमानसिंह के नाम पर आई। उपरोक्त भुमि भीमा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जी की थी और भीमा जी के फौत होने पर विरासत से गुमानसिंह के नाम पर दर्ज हुई। गुमानसिंह जी के फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज उक्त भुमियो का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा गया जिसमें गुमानसिंह जी के सभी विधिक वारीसान अर्थात अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक एवं इनकी माता लाड कंवर का नाम अंकित किया गया व तस्दीक हेतु अधिनस्थ ग्राम पंचायत दोलपुरा में प्रस्तुत किया गया लेकिन अधिनस्थ ग्राम पंचायत दोलपुरा द्वारा मनमकसूद तरीके से अपीलान्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही रेस्पोण्डेंट संख्या एक से मिलीभगत कर वसीयत को आधार बनाते हुऐ नामान्तरकरण दिनांक 21.08.2006 को तस्दीक कर फैसल कर दिया जिसकी अपीलान्ट्स को कोई जानकारी नहीं रही है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने वसीयत को आधार बना कर नामान्तकरण तस्दीक कर फैसल कर दिया जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का दोलपुरा द्वारा गुमानसिंह जी के सभी विधिक वारीसान के नाम का नामान्तकरण भरकर पेश किया जिससे अपीलान्ट्स यही समझते रहे कि भुमियों उनके नाम पर दर्ज हो चुकी है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गुमानसिंह जी के समस्त विधिक वारीसान की बिना जॉच किये ही अपने मनमकसूद तरीके से अपीलांट्स की बहिन रेस्पोण्डेंट संख्या एक अकेले के नाम पर ही नामान्तरकरण खोल दिया जबकि गुमानसिंह जी के पीछे उनकी पुत्रीयों अपीलांट्स एवं अपीलांट की माता अर्थात गुमानसिंह जी की पत्नि लाडकंवर एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक चारो ही विधिक वारीसान उत्तराधिकारी थे और सभी का उक्त भुमियो में कमश 1/4,1/4,1/4 एवं 1/4 हिस्सा. था एवं उक्त नामान्तरकरण उपरोक्त चारो वारीसान के नाम पर खोला जाना चाहिये था जो नहीं खोल कर अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने भारी विधिक भूल की है। रेस्पोण्डेंट संख्या दो अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जिस वसीयत को आधार बना कर नामान्तरकरण तस्दीक कर फैसल किया है ऐसी किसी वसीयत की अपीलान्ट्स को कोई जानकारी नहीं है न ही ऐसी किसी वसीयत के बारे में अपीलान्ट्स के पिता द्वारा अपीलान्ट्स को कभी बताया गया है एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक के पक्ष में अपीलान्ट्स के पिता गुमानसिंह द्वारा वसीयत

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कर रखी है ऐसी कोई जानकारी रेस्पोण्डेंट संख्या एक ने भी नहीं दी। हाल ही में जानकारी में आया है कि रेस्पोण्डेंट संख्या एक उक्त वादग्रस्त भुमि को विक्रय करने को आमादा है जिस पर अपीलान्ट्स ने राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाई जिससे ज्ञात हुआ कि जो नामान्तरकरण तस्दीक किया उसमें वसीयत को आधार बना कर तस्दीक किया व उक्त वसीयत के बारे में रेस्पोण्डेंट संख्या एक को अपीलान्ट्स ने पूछा तो उसने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया न ही वसीयत दिखाई की प्रतिलिपी इस प्रकार अधिनस्थ अधिनस्थ ग्राम पंचायत रेस्पोडेंट जिस पर अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ ग्राम पंचायत में पता किया तो अधिनस्थ ग्राम पंचायत के कार्यालय रिकार्ड में भी वसीयत का नहीं होना पाया गया इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्ट्स के पिता ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की केवल मात्र अपीलान्ट्स को उनके हक अधिकार से मेहरूम करने के आशय से रेस्पोण्डेंट संख्या एक दो ने आपस में मिलीभगत कर अकेले रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो अपीलान्ट्स के मुकाबले अवैद्य व शुन्य होकर इसे निरस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह अपील प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम बार जानकारी दिनांक 30.05.2023 को हुई और इसके बाद नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 02.06.2023 को प्राप्त हुई तब जाकर अपीलांट्स को इसकी पूरी जानकारी हुई। इससे पश्चात् अपीलांट्स ने अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई और आज बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। इससे पूर्व जो भी विलम्ब हुआ है यह जानकारी के अभाव में हुआ है फिर भी कानूनी अडचनो के निवारण हेतु उक्त जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को कण्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। गुमानसिंह जी की पत्नि लाड कंवर की मृत्यु हो चुकी है और उनके पीछे अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेट संख्या एक ही विधिक वारीसान उत्तराधिकारी है और अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक का कमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर कुलिया वर्णित भुमि को अपीलांट के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाल अधिनियम एवं प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा दिनांक 21.08.2006 को एक नामान्तरण संख्या 747 स्वीकृत किया गया बाद स्वीकृति उक्त भूमि नामान्तरण अनुसार उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई। किसी भी नामान्तरण कि अपील हेतु परिसीमा 30 दिवस कि निर्धारित है जबकि नामान्तरण दिनांक 21.08.2006 को स्वीकृत हुआ नामान्तरण कि अपील करीब 17 वर्ष बाद प्रस्तुत कि गई जिस कारण प्रारम्भीक रूप से उक्त नामान्तरण अपील परिसीमा बाधित होने से निरस्ती योग्य है। अपीलान्ट श्रीमती पवन कंवर आदी को प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कि गई वसीतय एवं नामान्तरण कि जानकारी है स्वयं श्रीमती पवन कंवर ने दिनांक 20.06.2009 को एक ईकरारनामा ग्राम दौलपुरा के मौतबीरो के समक्ष निष्पादीत करा अंगुष्ठ निशानी कि एवं उसने अंकित कराया कि हमारे पिता श्री गुमान सिंह जी के मरने के बाद पिता जी कि सम्पति के सम्बध में पवन बाईसा ने नामान्तरणव वसीयत कि ताइद की एवं एक प्लॉट, राशि व जेवरात कि लिखतम् की एवं यह स्पष्ट लिखा कि बसीत से भुमि नारायण कंवर को प्राप्त हुई जिसकी जानकारी एवं सहमति प्रदान कि अर्थात प्रारम्भ से ही अपीलान्ट को उक्त वसीयत एवं नामान्तरण कि सम्पूर्ण जानकारी थी उसके बाद दिनांक 04.11.2019 को नोटेरी से निष्पादीत ईकरार नामा भी पवन कंवर ने लिख नारायण को दिया। एवं यह लिख कर दिया कि मेरा किसी प्रकार से माता पिता कि सम्पति में मेरा व मेरे वारीसान का हक नही है एवं यह भी लिख कर दिया कि माता पिता कि सेवा नारायण कवंर ने की एवं उनके सामाजिक खर्च रशम रिवाज भी नारायण कंवर ने ही किये इस प्रकार सम्पर्ण वसीयत एवं नामान्तरण कि जानकारी अपीलान्ट को थी। धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलान्ट

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

ने यह दर्शाया कि उसको प्रथम बार जानकारी दिनांक 30.05.2023 को हुई जो गलत रूप से दर्शाया गया अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी थी एवं रेस्पोडेन्ट कि भूमि नामान्तरण के बाद से ही कब्जे एवं उपयोग उपभोग नारायण कंवर द्वारा किया जा रहा था जिसकी सम्पुर्ण जानकारी थी। नामान्तरण विधितः रजिस्टर्ड वसीयत के बाद हुआ जिसमें किसी प्रकार का नामान्तरण विधि विपरीत नही था नामान्तरण सही रूप से स्वीकृत होने से स्वीकृत हुआ एवं उक्त अपील परिसीमा बाधित प्रस्तुत कि गई है। न्यायिक रूप से विलम्ब माफी उसी स्तर पर कि जा सकती है जिसमें उन्हे जानकारी नही हो। यहा अपने अधिकारों के प्रति अपीलान्ट को जानकारी होने के बावजुद मौखिक एवं लिखित प्रदान की इस कारण मुल अपील ही परिसीमा बाधित होने से निरस्त योग्य है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अस्वीकार फरमाया जावें एवं मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण मूल अपील ही निरस्त फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम दौलपुरा पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 137 पुराना 137 में स्थित आराजी संख्या 772, 773, 774, 778, 782, 783 कुल किता 7 कुल रकबा 5.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो विरासत से अपीलान्टस के पिता का नाम दर्ज रजिस्टर्ड हुई। अपीलान्टस के पिता की मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना था। परन्तु पंचायत दौलपुरा द्वारा मनमकसूद तरीके से अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण रेस्पोण्डट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई। जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण प्रारंभ से ही शून्य व अवैध है क्योंकि विधिक वारिसानों को सूचना पत्र जारी किये बिना एवं बिना सुने वसीयत को आधार बनाकर नामान्तरकरण खोला गया जो विधि विरूद्ध है और अपीलान्ट के हितो पर कुठाराघात है ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत है। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

है। उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जाती है ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त गलत नामान्तरकरण खोला है। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा मनमाफिक तरीके से खोले गए नामान्तरकरण संख्या 747 दिनांक 21.08.2006 ग्राम पंचायत दौलपुरा को निरस्त फरमाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अन्यथा अपीलान्ट न्याय से महरूम रह जाएंगे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट की पैतृक समपत्ति है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रत्येक वारिसान को अपनी पैतृक सम्पत्ति के समान हक अधिकार निहित है।

प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता की ओर

परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 विलम्ब का उपशमन में उल्लेखित किया गया है कि उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्याय को मामले क गुणावगुन पर विचार करना चाहिए यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए। किसी भी नामान्तरकरण को तस्दीक करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, नोटिस या सूचना दिये बिना निर्णय नहीं किया जा सकता है। किसी भी पक्षकार के विरूद्ध कोई निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वह अपना पक्ष रख सके। परन्तु ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा ऐसा नही कर उन्होंने अपने क्षेत्राधिक़ार का दुरूपयोग किया है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दौलपुरा के नामान्तरकरण 747 दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्व पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की विधिसम्मत

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कार्यवाही की जावे। आदेश पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द